कार्यालय कलेक्टर, जिला मुरैना (म0प्र0)

क्रमांक/शनि.मेला/2014 **मुरैना, दिनांक 02.2014**

——00 आदेश 00——

तहसील मुरैना की ग्राम पंचायत ऐंती में दिनांक 01.03.2014 को शनिचरी अमावस्या के अवसर पर दिनांक 28.02.2014 से 01.03.2014 तक आयोजित होने वाला है। मेले में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मेले के सफल आयोजन हेतु दिनांक 30. जनवरी 2014 को शनिचरा मंदिर पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उपस्थिति समस्त अधिकारियों से व्यापक विचार विमर्श उपरान्त मेले के सफल आयोजन हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई तथा सभी अधिकारियों को उनकी भूमिका के विषय में विस्तार से बताया गया। उक्त मेले में बडी मात्रा में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है किन्तु मंदिर परिसर में बहुत अधिक स्थान नही होने से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दिये गये निर्देशों तथा विगत वर्षो के अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुये नवीन बफर जोन की स्थापना की जा रही है। प्रभावी संचार हेतु हेम रेडियो के प्रयोग का निर्णय लिया गया है। मेले के सफल आयोजन हेतु नोडल अधिकारियों को सारिणी अनुसार निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैः—

1- मेले के सफल आयोजन हेतु आवश्यक है कि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को साफ एवं स्वच्छ पानी पीने एवं स्नान हेतु सतत रूप से उपलब्ध कराया जाये इस हेतु **<u>लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय सेवा को निम्नाकिंत कार्य सौंपे जाते हैः—</u>**

क्र	सौंपे गये कार्यो का विवरण	नोडल अधिकारी का नाम
1.1	मंदिर प्रांगण में पर्याप्त पानी की टंकियां एवं टेंकरों की व्यवस्था कराना।	**श्री आर.के. सिंह राजपूत, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग + टीम मुरैना**
1.2	स्नानघर स्थल पर पानी की एवं टेंकरों की व्यवस्था करना।	
1.3	व्ही.आई.पी. प्रवेश द्वार पर पानी की टंकी एवं टेंकर की समस्त व्यवस्थायें करना।	
1.4	प्रसाद जोन से वन चोकी तथा, मंदिर गेट से नाई जोन तक पानी, टेंट आदि की व्यवस्थायें करना।	
1.5	मंदिर के मुख्य गेट से पोडे हनुमानजी तक पानी तथा टेंकरों की व्यवस्था करना।	
1.6	शनि भगवान को श्रद्धालुओं द्वारा चढाये जाने वाले तेल के प्रबंधन हेतु पाइप लाइन की व्यवस्था करना तथा उसे ठीक करबाना एवं मोटर/लाइट आदि चेक करना तथा ठीक करबाना।	
1.7	नाई जोन, पार्किंग स्थलों, मोटर साइकिल, कार पार्किंग, तथा व्ही,आई.पी. कार पार्किंग में पानी एवं टेंकर की पर्याप्त व्यवस्था करना ।	
1.8	भण्डारों के लिये पानी की पर्याप्त एवं अवाधित व्यवस्था हेतु 10 टेंकर मय पानी उपलब्ध करबाना ।	
1.9	बस स्टेण्ड पर 2 बडें भरे हुये टेंकरों की व्यवस्था करना।	

1.10	रेलवे स्टेशन के सामने प्राइवेट धर्मशाला में दर्शनार्थियों को 4 टेंकर पानी की व्यवस्था एवं धर्मशाला के कुऐं में व्लीचिंग पाउडर डालकर साफ सफाई कराना।	
1.11	अस्पताल एवं वन चोकी में पानी का एक–एक टेंकर रखवाना एवं अन्य आवश्यक स्थलों पर टेंकर एवं पेयजल की व्यवस्था कराना।	
1.12	वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दो बोरिंगों के पास जनरेटर उपलब्ध कराना। मोटर को चालू रखना।	
1.13	दुग्ध संघ से संपर्क कर दो पानी के टेंकरों की व्यवस्था कराना। एवं आवश्यकतानुसार उपयोग करना।	
1.14	मंदिर में पानी की सप्लाई के लिये पाइप लाइन डालना।	
1.15	बांरिंग पर स्टेण्ड वाई जनरेटर सेटों की व्यवस्था करना।	
1.16	मेला आयोजन तिथि में संपूर्ण मेला परिसर में पीने हेतु तथा श्रद्धालुओं के नहाने हेतु पानी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में शीघ्रता से पुनः आपूर्ति सुनिश्चित करना।	
1.17	समय–समय पर सोंपे गये अन्य कार्य।	
2	**<u>लोक निर्माण विभाग को सोंपे गये कार्यो का विवरण :–</u> संपूर्ण मेले में भीड प्रबंधन पार्किंग प्रबंधन तथा श्रद्धालुओं को व्यवस्थित रूप से दर्शन कराना एक प्रमुख चुनोती है इस हेतु लोक निर्माण विभाग को निम्नानुसार दायित्व सोंपा जाता हैः–**	
2.1	संपूर्ण मेला परिसर में पर्याप्त एवं मजबूत बेरीकेटिंग, ड्राप गेटों को लगवाना।	**श्री बी0एस0 गुर्जर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग + टीम मुरैना**
2.2	शनिदेव मंदिर तक आने वाले समस्त मार्गो का निर्माण / रोड दुरस्तीकरण करना। पहुच मार्गो के मोड पर रेडियम के संकेतक लगाना, जिसमें मुख्य रूप से टेकरी पर बिचौला मार्ग से शनिदेव मंदिर तक, नूराबाद से पडावली, बटेश्वरा होते हुये शनिवदेव मंदिर पहुच मार्ग तक, बानमोर शनिदेव से लिंक रोड किरावली के लिये जाने वाले मार्ग पर आरम्भ में ही शनिदेव मंदिर हेतु संकेतक अनिवार्य रूप से लगाये जावें। संकेतक में दूरी का भी उल्लेख किया जावे।	
2.3	शनिदेव मंदिर प्रांगण स्थित कुण्ड से पानी की मोटर पूर्व की भातिं लागाई जाये, तथा स्नान कुण्ड को पूर्व की भाति लोहे की मोटी जाली से ढक दिया जावे।	
2.4	वाहन पार्किंग स्थल पर बेरीकेटिंग, एवं व्ही.आई.पी. पार्किंग में बेरीकेटिंग व्यवस्था करना।	
2.5	प्रसाद जोन से वन चोकी तक वेरीकेंटिंग की व्यवस्था करना। मंदिर गेंटो पर इलेक्ट्रोनिक ऐन्ट्री एवं आउटडोर गेट लगाने की व्यवस्था करना।	
2.6	मंदिर परिसर में सी.सी.टी.व्ही. कैमरा एवं चेनल लगाना, तथा मय तकनीशियन के कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था कराना।	
2.7	मंदिर के मुख्य दरबाजे, वनचोकी एवं विश्राम भवन के पास ड्रोप गेट लगाना।	

2.8	समय–समय पर सोंपे गये अन्य कार्य।	
3	**_श्री शनि मंदिर ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है श्रद्धालुओं के सहज एवं सुगम आवागमन के लिये सभी मार्गो का ठीक होना आवश्यक है इस हेतु <u>प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना को सौंपे गये कार्यः–</u>**	
3.1 **3.2** **3.3** **3.4** **3.5**	ग्वालियर से शनिचरा मंदिर तक आने वाली रोड के गडडों का भराब एवं टूटी हुई पुलियों को ठीक कराना तथा रोड के सोल्डर्स का निर्माण करना। बनामोर से शनिचरा मंदिर तक आने वाली रोड के गडडों का भराब एवं टूटी हुई पुलियों को ठीक कराना। नूराबाद से शनिचरा मंदिर तक आने वाली रोड के गडडों का भराब एवं टूटी हुई पुलियों को ठीक कराना। टेकरी विचोला मार्ग से शनिदेव, नूराबाद मार्ग से शनिदेव, बानमोर मार्ग से शनिदेव जाने वाले मार्ग पर मय कि0मी0 सूचना संकेतक लगवाना। बानमोर मार्ग से जाते समय खिरावली वाले मार्ग पर अधिकांशतः वाहार से आने वाले दर्शनार्थी शनिदेव मार्ग न जाते हुये खिरावली मार्ग पर चले जाते है इस तरह की स्थिति निर्मित न हो इस हेतु इस स्थल पर शनिदेव मार्ग के संकेत चिन्ह के पोस्टर लगवाना। समय–समय पर सोंपे गये अन्य कार्य।	**श्री राजीव शर्मा, महा प्रबंधक प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना + टीम मुरैना**
4	**<u>ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग</u> को सोंपे गये कार्यो का विवरणः–**	
4.1 **4.2** **4.3** **4.4** **4.5** **4.6** **4.7**	मंदिर परिसर में निर्माणधीन भवन को 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना एवं मेला प्रबंधन को सोपना। शनिदेव मंदिर के परिसर में पार्किंग स्थालों के गडडों को भरबाना एवं समतलीकरण करना। मंदिर परिसर में 2 बफर जोनो को तत्काल तैयार कराना एवं फिलिंग व्यवस्था करबाना ताकि अधिक भीड की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। मेला प्रबंधक कार्यालय में प्रथम मंजिल पर 2 टायलेट बाथरूम तैयार करबाना। मुख्य मंदिर के पीछे जहॉ पुजारी पूजा कराते है वहॉ पर जमीन समतल कराना एवं झाडियों को साफ करबाना। सभी पार्किग स्थलों में मिट्टी भरबाना एवं लोवलिंग (समतलीकरण) कराना। समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।	**<u>श्री आर.पी.एस. चौहान कार्यपालन यंत्री मुरैना</u>**
5	**<u>स्वास्थ्य विभागः–</u>मेला अवधि में लाखों की संख्या में पधारने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क गुणवक्तापूर्ण एवं त्वरित स्वास्थ्य सुविधायें दी जाना है, आपातकालीन स्थितियों के लिये शमन,पूर्व तैयारी रखना तथा श्रद्धालुओं के खान–पान पर नजर रखना है इस हेतु स्वास्थ्य विभाग को सोंपे गये कार्यो का विवरणः–**	
5.1 **5.2**	मेला परिसर में वनचोकी में अस्थाई 6 वेड अस्पताल की व्यवस्था कराना तथा पर्याप्त डाक्टरों की व्यवस्था कराना। ऐंती पहाडी के नीचे बस स्टेण्ड के पास चार बेड के अस्थाई	**श्री जी0एस0 राजपूत मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी + टीम मुरैना**

	चिकित्सालय की व्यवस्था करना। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेला अवधि में स्थापित चिकित्सालय तथा चिकित्सा सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। जिससे श्रद्धालुओं को चिकित्सालय को ढूढने में कोई परेशानी न हो।	
5.3	मंदिर के मुख्य गेट पर डाक्टरों की व्यवस्था करना। डाक्टरों के साथ पेरा स्टाफ, सफाई हेतु कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था कराना। अस्थाई चिकित्सालयों पर 1 बडी एम्बुलेंस तथा 2 छोटी एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना जिसमें सभी दवाइयों के साथ पर्याप्त कर्मचारियों की 24 घण्टे व्यवस्था	
5.4	उपलब्ध रहे। एक सर्व सुविधायुक्त मोवाइल अस्पताल की व्यवस्था करना	
5.5	तथा पर्याप्त आपातकालीन तैयारियां रखना। संपूर्ण मेला परिसर में प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री को चैक करना अपदूषित खाद्य सामग्री को विनिष्ट करना तथा वे समस्त उपाय करना जिनसे फूड पोयजनिंग का शमन किया जा सके। कुण्ड, पानी की टंकियों एवं सभी टेंकरों में क्लोरिन पाउडर को डलवाने की व्यवस्था सी.एम.एच.ओ. द्वारा स्वयं	
5.6	अपनी देख रेख की जाये। नाईयों को नवीन सेबिगं ब्लेड उपलब्ध कराई जाये तथा किसी भी स्थिति में पुरानी सेंबिग ब्लेड का प्रयोग न होने दिया जाये।	
6	**सम्पूर्ण मेले के दौरान साफ सफाई व्यवस्था उच्च कोटि की होना चाहिए बडी मात्रा में लगने वाले सफाई कर्मचारियों का पर्यवेक्षण भी एवं महत्वपूर्ण दायित्व है।_इस हेतु <u>नगरीय प्रशासन विभाग को</u> निम्नानुसार कार्य सौपे जाते हैः–**	
6.1	मेला प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व से लेकर मेले के दौरान तथा मेले के पश्चात संपूर्ण मेला परिसर की साफ सफाई कराना एवं डी.डी.टी. ब्लीचिंग पाउण्डर का छिडकाव करबाना। नगरपालिका कैलारस,जौरा, मुरैना, अम्बाह एवं बानमोर के	**श्री संजय जैन, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण एवं समस्त सीएमओ+ टीम मुरैना**
6.2	कर्मचारियों को नियुक्त करबाना। मेला प्रंरभ होने वाले दिन 28 फरवरी से 2 मार्च 2014 तक	
6.3	मेला परिसर में सभी स्थानों पर पर्याप्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना मेला पार्किंग परिसर में 2 फायरविग्रेड की व्यवस्था कराना।	
6.4	एक रिजर्व दल का गठन करना जिसका अवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके। मंदिर के बाहर व अंदर रेत से भरी बालिटयों एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करना।	
6.5	आवश्यकता होने पर मय ड्रायवर पानी के टेंकर उपलब्ध कराना।	
6.6	समय–समय पर सोंपे गये अन्य कार्य।	
7	**<u>विद्युत विभागः–</u> मेला अवधि में सतत एवं सुरक्षित विद्युत प्रदाय की जाना है इस हेतु विद्युत विभाग को निम्न कार्य सोंपे जाते हैः–**	
7.1	मंदिर परिसर में सभी स्थल पर नई केबिल लाइन डालना	**श्री तोमर कार्यपालन यंत्री**

	तथा सभी स्थानों पर पर्याप्त विद्युत लाइन डालना एवं विद्युत प्रदाय कराना।	**विद्युत वितरण कं.लि.+ टीम मुरैना**
7.2	शनिदेव मंदिर के ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन ठीक कराना।	
	मंदिर परिसर में तथा मंदिर के बाहर आकास्मिक स्थिति हेतु पर्याप्त जनरेटर सेटों को स्थापित कराना एवं विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था कराना।	
7.3	विद्युत समस्याओं के लिये कॉल पर उपलब्ध रहाना।	
7.4	मेला परिसर को 100 प्रतिशत ***ELECTRIC SHOCK PROOF*** बनाना तथा उसका प्रमाणीकरण करना।	
7.5	मेला अवधि में विद्युत संबंधी किसी भी समस्या के लिये कॉल सेन्टर स्थापित करना तथा त्वरित रूप से समस्या का निराकरण करना। तकनीकी विशेषज्ञों की 24 घण्टे उपलब्धता	
7.6	मेला परिसर में सुनिश्चित करना।	
	समय समय पर सोपे गये अन्य कार्य।	
8	**<u>खाद्य व्यवस्था :—</u>**	
8.1	मेला परिसर में समस्त स्थापित होने वाले लंगरों आदि के लिये स्थान चिन्हित कराना। इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी मुरैना से प्राप्त करें।	**श्री आर.एस.धाकरे जिला खाद्य अधिकारी + टीम मुरैना**
8.2	भण्डारों के प्रबंधकों को सुगमता से व्यवसायिक गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना।	
8.3	लंगर के आस—पास सफाई का प्रबंध कराना।	
8.4	मेले में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को पर्याप्त भोजन पैकिट उपलब्ध कराना।	
8.5	समय समय पर सोपे गये अन्य कार्य।	
9	**<u>कम्प्युटर/कम्युनिकेशनः—</u>**	
9.1	शनिचरा मंदिर की बेवसाइट तैयार कर कम्युनिकेशन प्लान को तैयार करना तथा क्रियान्वित करना ।	**श्री शितोले जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई. सी. + टीम मुरैना**
9.2	इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मेला आयोजन का प्रचार प्रसार करना।	
9.3	सूचना ओद्योगिकी से संबंधित समस्त कार्य।	
10	**<u>अनुविभागीय अधिकारी मुरैना, तहसीलदार मुरैनाः—</u> मेला की समस्त व्यवस्थाओं का प्रबंधन करना, समन्वय करना एवं व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करना महत्वपूर्ण दायित्व है इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार मुरैना को संयुक्त रूप मेला अधिकारी तथा मेला प्रबंधन समिति के पदधारक होने के कारण से निम्नांकित कार्य सोंपे जाते हैः—**	
10.1	मेला कन्ट्रोंल रूम में सम्पूर्ण मेला ग्राउण्ड परिसर में की जाने वाली व्यवस्थओं को इंगित करते हुये सेंड मॉडल तथा स्पष्ट नजरी नक्शा तैयार करना।	**1 श्री अशोक कम्ठान एस.डी.एम. + टीम मुरैना** **2 श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाह तहसीलदार + टीम मुरैना**
10.2	मेले के पूर्व, दौरान तथा पश्चात समस्त व्यवस्थाओं का सतत पर्यवेक्षण करना तथा कलेक्टर मुरैना को प्रतिदिन की स्थिति से अवगत कराना।	
10.3	मेला अवधि में कार्यपालिक दण्डाधिकारी से संबंधित समस्त कार्यो का सम्पादन करना।	
10.4	मेला परिसर में प्रशासनिक कन्ट्रोल रूम के पास एक कम्प्लेन्ट	

	बुक का संधारण किया जाये जो one for all theme पर आधारित हो। जाहॅ से कोई भी व्यक्ति मेला से संबंधित अपनी किसी भी समस्या/शिकायत का निराकरण प्राप्त कर सके।	
10.5	शनिचरा मंदिर के मुख्य बस स्टेण्ड पर, शनिचरा रेलवे स्टेशन प्राइवेट धर्मशाला के पास, एक वन चोकी पर टेंट व लाइट की पर्याप्त व्यवस्था कराना।	
10.6	शनिदेव मंदिर के लिये लाइट, माइक, टेंट के लिये टेण्डर बुलाना एवं अनुमोदिन कराना साथ ही मुख्य गेट, पार्किंग तथा वन चोकी पर निर्देशो तथा सूचनाओं के प्रसारण हेतु उच्च श्रेणी के माइकों को पर्याप्त संख्या में लगाना।	
10.7	शनिदेव मंदिर पर तैनात कर्मचारियो/अधिकारियों को ठहरने की व्यवस्था कराना।	
10.8	व्ही.आई.पी. पास (शुल्क सहित) तैयार करना, तथा उनका व्यापक वितरण सुनिश्चित करना।	
10.9	आपदा प्रबंधन को रिस्पोंस प्लान तैयार करना, आवश्यकता पडने पर रिस्पोंस प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन करना।	
10.10	नेहरूयुवा केन्द्र एवं जन अभियान परिषद के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना।	
10.11	शनिचरा मंदिर वन चोकी, रेलवे स्टेशन के पास सूचना केन्द्र स्थापित कराना।	
10.12	सूचना के अवाधित संचारण हेतु हेम रेडियों आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों को प्रदाय करना एवं उनका रख रखाव करना।	
10.13	शनिदेव मेला के ड्यूटी के सभी अधिकारी/कर्मचारियों केक लिये परिचय पत्र जारी करना। मेला परिसर में मंदिर तक आने वाले (भण्डारा, पूजन सामग्री, अन्य अतिआवश्यक कार्य हेतु) वाहनों को अनुज्ञा पत्र जारी करना तथा इस हेतु की गई व्यवस्था से पुलिस को अवगत कराना।	
10.14	मेले में पधारे व्ही.आई.पी. श्रद्धालुओ के स्वागत सत्कार एवं उनकों सुगमता पूर्वक दर्शन कराने की व्यवस्था करना।	
10.15	विगत वर्ष की भांति यह सुनिश्चित किया जाये कि श्रद्धालुओं द्वारा शनिदेव पर चढाये जाने वाला तेल इस हेतु निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही प्रयुक्त किया जाये किसी भी स्थिति में मंदिर के अंदर तेल पूजन सामग्री न जा पाये। उक्त व्यवस्था का वेनर तथा अन्य साघनों से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।	
10.16	तहसीलदार मुरैना पूर्व वर्ष की भांति वेनर तथा पोस्टरों को संबंधित ठेकेदार के माध्यम से निर्धारित स्थानों पर लगवायेगें तथा मेला समाप्ति उपरान्त उन्हें व्यवस्थित रखेगें। साथ ही मंदिर के मुख्य द्वार, धर्मशाला इत्यादि स्थानों पर नवीन झण्डे लगवाये जायें।	

10.17 10.18 10.19	शनिदेव द्वार बानमौर, शनिदेव मंदिर मुख्य द्वार, धर्मशाला, इत्यादि भवनों को पेंट करवाया जाये। तथा मंदिर के ऊपर लगे हुये वर्तन, कुण्डों की साफ सफाई, पेंनटिंग एंव साजसज्जा करायें। बस/ट्रेक्टर ट्राली पार्किंग, कार/जीप पार्किंग, स्कूटर/मोटर साइकिल पार्किंग, साइकिल पार्किंग, व्ही0आई0पी0 पार्किंग, नाई जोन, प्रसाद जोन, जूता छोडने का स्थान, कपडा छोडने का स्थान, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, अमानती समान घर, अस्पताल, मेला कन्ट्रोल रूम इत्यादि लिखे हुये वेनर पर्याप्त मात्रा में तैयार किये जाये तथा निर्धारित स्थान पर लगाये जाये। बनाये गये बेनर पर्याप्त लम्बाई चौडाई के होना चाहिये जिन्हे आसानी से दूर से पढा जा सके। मेला प्रारंगण में एक खोया पाया/गुमशुदा तलाश केन्द्र स्थापित किया जाये, तथा माइक सहित आवश्यक कर्मचारियों की 24 घण्टे ड्यूटी रखी जाये।	
11	**<u>शिक्षा विभागः–</u>व्ही.आई.पी. आगन्तुको के दर्शन हेतु व्ही.आई.पी. पास की व्यवस्था की गई है। इस हेतु व्ही.आई.पी. पास अधिक से अधिक संख्या में जारी किये जायें।**	
11.1 11.2	व्ही.आई.पी. पास (राशि जमा करने के उपरान्त) तैयार कराना एवं प्रचार प्रसार कराना एवं आय–व्यय का लेखा जोखा रखना। व्ही.आई.पी. आगन्तुको को दर्शन कराने एवं उन्हें ससम्मान छोडने की व्यवस्था करना।	**श्री दीपक पाण्डे जिला शिक्षा अधिकारी + टीम मुरैना**
12	**<u>नाई जोन व्यवस्था :–</u> मेला में धार्मिक अनुष्ठान हेतु बडी संख्या में नाई आते हैं उनकों यथा स्थान बैठाने हेतु अधीक्षक भू–अभिलेख निम्न कार्य सोंपे जाते हैः–**	
12.1 12.2 12.3	नाई जोन तैयार कराना एवं नाइयों को जगह एवं पास उपलब्ध कराना तथा सफाई कराना। नाई जोन में प्रयुक्त ब्लेड नई हो यह सुनिश्चित करना। इस हेतु रिटेलर से अनुमानित 15000 नवीन ब्लेडों को नाईयों को प्रदाय किया जाना है। मेला परिसर में उपस्थित सभी नाईयों का अनिवार्य रूप से पंजीयन करबाना तथा उन्हें परिचय पत्र जारी करना।	**श्री अशोक चोहान अधीक्षक भू–अभिलेख + टीम मुरैना**
13	**<u>यातायात विभागः–</u>मेला अवधि में बडी मात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के प्रबंधन हेतु सुगम यातायात व्यवस्था स्थापित की जाना है इस हेतु आर.टी.ओ. को निम्न कार्य सोपे जाते हैः–**	
13.1 13.2 13.3	शनिदेव मंदिर मेला हेतु मुरैना से नूराबाद एवं बानमोर से शनिचरा मेला तक आने जाने के मार्ग पर बसों के परमिट जारी करना एवं रास्ते में ओवर लोडिंग वाहनों एवं अन्य वाहनों की चैकिंग हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना। ग्वालियर से शनिचरा मंदिर के लिये बसों की व्यवस्था हेतु आर.टी.ओ. ग्वालियर से समन्वय कर व्यवस्था कराना। वाहनों की कडाई से जॉच करना। विशेषकर मानपुर मुख्य मार्ग से शनिदेव मंदिर तक तथा बानमोर से शनिदेव मंदिर तक आने जाने वाले वाहनों पर ओवर लोडिंग न हो पाये यह	**श्री चौहान आर.टी.ओ.+ टीम मुरैना**

	सुनिश्चित करना।	
13.4	कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट प्रांगण से शनिदेव मंदिर तक पहुचाना एवं वापिस लाने की व्यवस्था करना। इस व्यवस्था का प्रचार प्रसार टाईम टेबिल सहित करना।	
13.5	यातायात की सुगमता के लिये पुलिस प्रशासन के साथ आने एवं जाने वाले मार्गो को चिन्हित करना एवं बोर्ड इत्यादि लगाकर व्यापक प्रचार करना।	
13.6	यातायात अवरूद्ध होने की स्थिति में पुलिस से समन्वय करके यथाशीघ्र सुगम यातायात सुनिश्चित करना।	
14	**<u>जनपद पंचायत मुरैनाः–</u>**	
14.1	शनिदेव मेला की व्यवस्था हेतु आस पास के ग्राम पंचायतों से आवश्यकतानुसार अम्बाह, मुरेना,जौरा, से लगभग 40 पानी के टेंकरों की व्यवस्था कराना। पानी भरबाने के लिये बोरिंग को चिन्हित करना। एवं टेंकरों में पानी भरवाना।	**श्री विशाल नरबरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत + टीम मुरैना**
14.2	शनिदेव मंदिर को जाने वाले ग्रामों के सभी रास्तों की साफ सफाई कराना।	
14.3	मेला मार्ग में पडने वाले गॉव के लोगों की मेला में सहभागिता बढाने के प्रयास करना।	
14.4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी गडाजर रोड से ड्रोप गेट वाहन पार्किंग तक, शनिचरा रेल्वे स्टेशन तिराह से धर्मशाला तक, वन चौकी से मुरली मनोहर मंदिर तक, व्ही.आई.पी. जोन एवं प्रसाद जोन में पर्याप्त लाइट व्यवस्था एवं जनरेटरों की (कम से कम 5 जनरेटर) की व्यवस्था क्रमशः ग्राम पंचायत गडाजर, पीपरसेवा, ऐंती के सहयोग से करेंगें। तथा कम से कम 50 सचिवों को ड्यूटी हेतु शिफ्टवार उपस्थित रखेगें।	
15	**<u>पुलिस विभाग</u> :–मेला अवधि में श्रद्धालुओ की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन लाभ उपलब्ध कराने हेतु पुलिस विभाग मुरैना द्वारा निम्नाकिंत कार्य किये जाने हैः–**	
15.1	मेला परिसर को सेक्टर तथा जोन में विभक्त किया जाये तथा अनिवार्य रूप से प्रत्येक सेक्टर का प्रभारी टी.आई. तथा जोन का प्रभारी एस.डी.ओ.पी. रेंक के अधिकारी को बनाया जाये।	**पुलिस अधीक्षक + टीम मुरैना (पुलिस अधीक्षक मुरैना ड्यूटी लगाते समय डीएम एक्ट 2005 तथा नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट प्राधिकरण व राज्य डिजास्टर मेनेजमेंट प्राधिकरण द्वारा जारी गाइड लाइन व निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें) जिसमें Watch towers, Public Communication cell, CCTV Camera, Chain fo Command, Naroow Points, bottlenecks, slippry paths, When baricate needs to**
15.2	सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में निगरानी हेतु बॉच टावर की स्थापना की जाये तथा बॉच टावरों पर पर्याप्त बल उपलब्ध रखा जाये।	
15.3	मेला अवधि में एक पब्लिक कम्युनिकेशन सेल की स्थापना की जाये जहॉ पर श्रद्धालु अपनी शिकायतें या अपराध संबंधी सूचना दर्ज करा सकें। शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जावें।	
15.4	सम्पूर्ण मेला क्षेत्र तथा मंदिर परिसर में पर्याप्त सी.सी.टी.व्ही. केमरे स्थापित किये जायें। इस हेतु पी.डब्लू.डी. से सहयोग लिया जाये।	
15.5		
15.6	मेला क्षेत्र में स्थित NARROW POINTS, BOTTLENECKS, SLIPERY PATHS को सूचीबद्ध किया जाये तथा ऐसे स्थानों	

	पर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाये।	**removed, Heavy vehicles ban, Public walking & vehicle movement seperate, New routes, Widened route, review past disasters, deploy safety officer, crime preversion, structural safety, Fire & electrical safety, Stewarding, Evacuation plan, Media officer, Empirical evidance from past, mock drill, Patrolling, Overloaded vehicle, Dropgets, baricating, Parking, Vehicle Movement, Human- crowd movement, hawcker zone, anti-roadblock Removal, Crane Service, Oneway entry, Oneway exist, Evacuation road,** से संबंधित व्यवस्थायें की जाना सुनिश्चित करें।
15.7	दर्शन हेतु वेरीकेंटिग व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि प्रवेश तथा निर्गम मार्ग अलग–अलग हों तथा शारीरिक रूप से विकलांग श्रद्धालुओं के लिये भी पृथक–पृथक प्रवेश एवं निर्गम मार्ग बनाया जाये।	
15.8	भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध किया जाये तथा यथा संभव श्रद्धालुओं का आवागमन तथा वाहनों के आवागमन हेतु पृथक–पृथक मार्ग की व्यवस्था की जाये।	
15.9	सम्पूर्ण मेला व्यवस्था के लिये डी.एस.पी. रेंक से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी को पब्लिक सेफ्टी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाये। जो सुरक्षा से संबंधित समस्त प्रावधानों का लागू किया जाना सुनिश्चित करें।	
15.10	FIRE & ELECTRICAL SAFETY हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।	
15.11	मेला अवधि में मंदिर पर जाने वाले समस्त मार्गो पर सघन प्रेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाये। ओवर लोडेड वाहनों पर कठोर कार्यवाही की जाये। तथा ANTI ROAD BLOCk REMOVAL की पर्याप्त तैयारी रखी जाये। क्रेन की व्यवस्था भी की जाये।	
15.12	यातायात का प्रभारी प्रबंधन किया जाये इस हेतु पर्यप्त पार्किग व्यवस्था निर्मित की जाये। सडक पर या उसके साइड में किसी भी प्रकार से वाहन खडे न रहे यह सुनिश्चित किया जाये। साथ ही कम से कम पॉच प्रथक स्थानों पर पार्किंग स्थान नियत कर, पृथक–पृथक बस/टेक्टर ट्राली/कार जीप/स्कूटर–मोटर साइकिल/साइकिलों हेतु स्थान नियत किये जायें। पार्किंग व्यवस्था का पर्याप्त प्रचार–प्रसार कर पुख्ता पुलिस व्यवस्था की जाये।	
15.13	मुख्य मार्ग पर एवं मार्ग के दौनों ओर प्रसाद, खिलोने, कैसिट, नाई इत्यादि की दुकाने न लगाने दी जायें। दुकाने हेतु निर्धारित जोन में ही दुकान लगें यह सुनिश्चित किया जाये।	
15.14	श्रद्धालु/आम जन के वाहन रास्ते में खडे न हो इस हेतु समुचित ट्रेफिक व्यवस्था की जाये।	
15.15	ड्रोप गेटों से मंदिर व्यवस्थाओं के लिये जो वाहन लगाये गये है जिन पर निर्धारित पूर्व की भांति लाल कलर में एस. डीएम द्वारा हस्ताक्षरित पास पंजीयन कर जारी किये गये हैं उन्ही वाहनों को प्रवेश दिया जावे।	
15.16	मेला की व्यवस्थाओं में लगे शासकीय कर्मचारियों के वाहन मेला अवधि में रान्सू रोड मार्ग से आयेगें व्ही.आई.पी. पास वाले व्यक्ति या तो रान्सू मार्ग से आयेंगे एवं यदि स्टेशन मार्ग से आते हैं तो रान्सू मार्ग से वापिस जावेगें। यह व्यवस्था लागू रखी जावे।	
15.17	दर्शन के लिये प्रतिक्षारत श्रद्धालुओं के प्रबंधन के लिये व्यापक	

15.18	इन्तजाम किये जाये साथ ही भीड का प्रबंधन इस प्रकार किया जाये कि मंदिर परिसर के अन्दर एक बार में 2000 से अधिक श्रद्धालु न हो पाये।	
15.19	मंदिर की ओर पडने वाले समस्त मार्गो पर पर्याप्त एवं मजबूत बेरिकेंटिग व्यवस्था स्थापित की जाये।	
15.20	शनिचरा मेला हेतु सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये आपदा रिस्पोंस प्लान तैयार किया जाये, उसके क्रियान्वयन की तैयारी की जाये तथा कम से कम एक बार रिस्पोंस प्लान की मॉक ड्रिल भी कर ली जाये।	
15.21	ड्यूटी आदेश तथा जनरल ब्रीफिंग में ड्यूटी में लगने वाले अधिकारी/कर्मचारी को मेला के दौरान श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं तथा अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किये जाने वाले व्यवहार पर निर्देश दिये जायें।	
15.22	व्ही.आई.पी. जोन में अनाधिकृत प्रवेश निषिद्ध किया जाये।	
15.23	संपूर्ण मेला परिसर में आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुये सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की ड्युटी प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।	
15.24	व्यवस्थाओं हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउड गाइड तथा ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों का उचित उपयोग करना।	
	मेला परिसर में वीडियोग्राफी कराना तथा अश्रुगेस की व्यवस्था रखी जावे।	
16	**<u>जनसंपर्क विभागः–</u>**	
16.1	मेला की संपूर्ण गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने हेतु लोक एवं राष्ट्रीय स्तर के मीडिया से संपर्क करना।	**श्री डी0डी0 शाक्यवार जनसंपर्क अधिकारी+ टीम मुरैना**
16.2	पत्रकारों को पास जारी कराना, एवं लाने लेजाने की व्यवस्था तथा समन्वय करना।	
16.3	मेला गतिविधियों से सतत रूप से आपातकालीन तैयारी करना, किसी भी प्रकार से मीडिया को आवगत कराना किसी भी प्रकार की अफवाहों पर नियत्रंण रखना।	
16.4	मेला सें संबंधित INFORMATION INPUT से कलेक्टर मुरैना को नियमित अवगत कराना।	
16.5	मेला आयोजन, मंदिर तथा आंगतुंक श्रद्धालुओं के प्रति सम्पूर्ण क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण का निर्माण कराना।	
16.6	समय समय पर सोंपे गये अन्य कार्य।	
17	**<u>पशुपालन विभाग :–</u>**	
17.1	आवारा पशुओं को मेला परिसर में आने से रोकना।	**डॉ. अशोक सिंह तोमर उप संचालक पशुपालन विभाग + टीम मुरैना**
17.2	शनिदेव मेला में आने वाले श्रद्धालुओ को वन्य जीव ना सताये इस हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना।	
17.3	वर्तमान में पर्वत पर नील गाय, बन्दर, लंगूर इत्यादि देखें गये है जो पर्वत पर रहते है उक्त वन्य जीवों को किसी भी व्यक्ति द्वारा न सताया जाये यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।	

18	**<u>महिला एवं बाल विकास विभागः–</u> मेला अवधि में आगन्तुक महिला एवं बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपे गये कार्यः–**	
18.1 **18.2** **18.3** **18.4**	महिला दर्शनार्थियो को पंक्तियों में व्यवस्थित करने हेतु महिला सुपरवाईजरों/आगनबाडी कार्यकर्ताओं को शिफ्ट वार ड्यूटी लगाना। मेले में दर्शनार्थियों के गुम शुदा बच्चों को कन्ट्रोल रूम पर पहुॅचाना एवं बीमार महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराना। इस हेतु जिकजेक रेलिंग से लेकर निर्गम मार्ग तक आगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई जाये। मेला हेतु समय समय पर अन्य सोंपे गये कार्य।	**श्री डी0के0 सिद्धार्थ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग+ टीम मुरैना**
19	**<u>वन विभाग की व्यवस्थाः–</u>**	
19.1 **19.2** **19.3** **19.4** **19.5** **19.6**	वन चौकी में FIRST RELIEF CAMP की स्थापना की जा रही हैं जिसके ओ.आई.सी. डी.एफ.ओ. होगें जो अपने निर्देशन में राहत कार्यो को निष्पादित करायेगें। डी.एफ.ओ. अपने निर्देशन में एक QUICK RECTION TEEM गठित रखें जिसमें कम से कम पॉच अधिकारी तथा 25 वन रक्षकों का बल उपलब्ध हो। यह टीम रिजर्व बल के रूप में कार्य करेगें तथा आवश्यकता पडने पर किसी भी घटना पर तुरतं रिएक्सन करेगी। मेले में लगने वाले बॉस बल्लियॉ एवं अन्य शामयाना की व्यवस्था स्वयं डी.एफ.ओ. अपनी निगरानी में संबंधित एस डी. ओ. वन से करायेगें। मेला के दौरान मुख्य सडक मार्ग एवं अन्य मार्गो पर बनाई गई चौकियों एवं ड्रोपगेटों पर वन विभाग की ओर से पर्याप्त बल उपलब्ध कराया जावे। मेला में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत वनपाल एवं वनसैनिकों जो ड्यूटी पर रहेंगें उन कर्मचारियों के परिचय पत्र भी जारी किये जायें। रिठौराकलॉ, ऐंती, की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं तथा वाहनों का प्रबंधन करें, तथा वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करवाया जावे।	**श्री विन्सेट रहीम डी.एफ.ओ. वन विभाग + टीम मुरैना**
20	**<u>ग्वालियर सहकारी दुग्घ संघ प्लांट बानमोर की व्यवस्थाः–</u>**	
20.1 **20.2**	दुग्घ संघ ग्वालियर बानमोर स्थित दुग्घ संघ प्लांट से शीतल जल से पेय जल से भरे हुये दो टेंकर उपलब्ध करायेगें। इसके अतिरिक्त एक टैंकर शनिदेव मंदिर पर पेयजल आपूर्ति हेतु रखवाया जाना सुनिश्चित करें। पूर्व वर्ष की भातिं श्रद्धालुओं हेतु सॉची पार्लर की स्थापना करना ताकि श्रद्धालु आवश्यकता पडने पर सॉची के उत्पादों को क्रय कर सके।	**श्री विनोद कुमार खरे सी0ई0ओ0 दुग्ध संघ +टीम ग्वालियर**
21	**<u>रेडक्रॉस सोसाइटी मुरैना/बानमोर द्वारा अपेक्षित कार्यः–</u>**	
21.1	मुरैना तथा बानमोर रेडक्रासं सोसाइटी अपनी अपनी ऐम्बुलेंस	**डॉ0 एम0एल0 मित्तल**

	मय प्रेट्रोल डीजल के शनिदेव मंदिर पर रखेगें। तथा दौनो सोसाइटी के सचिव मेला अवधि में उपस्थित रहेंगें।	**सचिव रेडक्रास सोसाइटी + टीम मुरैना**
22	**<u>नेशनल हाइवे अथोटी ऑफ इण्डियाः–</u>**	
22	भण्डारा तथा धार्मिक प्रयोजन से अन्य राज्यों से पधारे श्रद्धालुओं के वाहनों के आवागमन को मेला अवधि में नि :शुल्क रखा जावे। पूर्व वर्ष की भातिं इस वर्ष भी एन.एच.आई. द्वारा हाइवे पर सतत प्रेट्रोलिंग की जाये तथा अपने एम्बुलेंस वाहन को वेरियल पर तैनात रखा जाये। किसी भी दुर्घटना की सूचना पर तुरंत एम्बुलेंस का उपयोग किया जाये।	**प्रभारी टोल टेक्स वेरियर तथा महाप्रबंधक एनएचएआई**
23	**<u>दूर संचार विभाग :–</u>**	
	मेला अवधि में मोवाइल संचार व्यवस्था को मेला प्रांगण में सुचारू रूप से संचालित होना अत्यन्त आवश्यक है इस हेतु दूर संचार विभाग द्वारा पर्याप्त टावर एवं तकनीकि इनपुट की व्यवस्था की जाये ताकि अवाधित रूप से संचार व्यवस्था जारी रह सके।	**श्री डी0के0 वर्मा महाप्रबंधक दूर संचार विभाग+ टीम मुरैना**
24	**<u>खनिज विभागः–</u>**	
	मंदिर श्री शनिदेव पर शनिचरी अमावस्या पर लगने वाले मेला में संभावित 6–7 लाख दर्शनार्थी आयेंगें, जिनमें से अधिकांश दर्शनार्थी वाहनों से बामौर से शनिदेव मंदिर रोड एवं नूराबाद से रान्सू रोड तथा रिठौराकलॉ से शनिदेव मंदिर रोड से आयेंगें जिनकी संख्या लाखों में होगी, वर्तमान में उक्त मार्गो से आने–जाने वाले पत्थर से भरे भारी वाहन जैसे ट्रक , टेक्टर–ट्रोली काफी संख्या में निकलते है जिनमें अधिकांश साइड नही देते इस तरह के वाहन रोड पर पलट जाते है, तो सम्पूर्ण मार्ग बांधित हो सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टि से मेला अवधि में उपरोक्त तीनो मार्गो से आने जाने वाले, पत्थर से भरे भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रेक्टर–ट्राली पर प्रतिबंध रहेगा। खनिज अधिकारी उपरोक्त व्यवस्था के प्रभारी रहेंगे।	**श्री आर0पी0 भदकारिया खनिज विभाग+ टीम मुरैना**

<u>नोटः–</u>

1- सारणी अनुसार सोंपे गये कार्यो के लिये समस्त नोडल अधिकारी तीन दिवस के भीतर ड्यूटी हेतु लगने वाली कर्मचारियों/अधिकारी के नाम मय मोवाइल नम्बर साफ्ट तथा हार्ड कॉपी में कलेक्ट्रेट मुरैना की मॉफी शाखा में उपलब्ध करायें।

2- ड्यूटी लगाते समय अपने सर्वश्रेष्ठ अधिकारी/कर्मचारी का नाम प्रस्तावित किया जाये।

3- कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त विभागीय तोर पर ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के कार्यो का पर्यवेक्षण किया जाये लापरवाह एवं अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी को दण्डत किया जाये तथा मेहनती एवं लगनशील अधिकारी एवं कर्मचारी को पुरूस्कृत किया जाये।

4- सभी नोडलअधिकारियों को आवदा प्रबंधन के विषय में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अत : समस्त नोडल अधिकारी अपने अधिनस्थ आवदा की स्थिति में प्रशिक्षण प्रदान करें।

5- सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके द्वारा एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा आगन्तुक श्रद्धालुओं से मित्रवत एवं सम्मान जनक व्यवहार किया जाये।

6- मेला के पूर्व, दौरान तथा पश्चात मेला से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव/कमी/आवश्यकता से सी.ई.ओ. आवदा प्रबंधन तथा आवश्यकता होने पर कलेक्टर मुरैना को आवगत कराया जाये।

7- आपातकाल के लिये एक रिजर्व दल सभी जिला अधिकारी सुरक्षित रखेंगे। तथा उनके मोवाइल नम्बर आदि का भी विवरण रहेगा। उन्हे पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जावे। एवं आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करेंगें।

8- चिकित्सा विभाग, पुलिस, प्रशासन, जिला जनसम्पर्क, विद्युत, पी.एच.ई., आर.टी.ओ. इत्यादि विभाग मेला के पूर्व अनिवार्य रूप से कम से कम एक बार मॉक ड्रिल का आयोजन तथा परिलक्ष्ति कमियो को दूर कर लें ताकि संभावित कमियों का शमन किया जा सके।

(मदन कुमार)

कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी

जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/शनि.मेला/2014 **मुरैना, दिनांक 02.2014**

प्रतिलिपिः–

1- आयुक्त चंबल संभाग मुरैना।

2- पुलिस महानिरीक्षक, चंबल/ग्वालियर रेंज ग्वालियर।

3- पुलिस अधीक्षक मुरैना।

4- अपर कलेक्टर जिला मुरैना।

5- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना।

6- वनमण्डलाधिकारी जिला मुरैना।

7- प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय वित्त शिकायत स्थापना –––––––––––––मुरैना।

8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्घ संघ ग्वालियर।

9- क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे मण्डल झॉसी।

10- महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड मुरैना।

11- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला मुरैना।

12- महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीणसंडक विकास प्राधिकरण मुरैना।

13- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग/लोक स्वा.यात्रिकी विभाग/आर.इ.एस. मुरैना।

14- उप संचालक जनसंपर्क विभाग मुरैना।

15- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना।

16- प्रभारी अधिकारी माफी औकाफ जिला कार्यालय मुरैना।

17- अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुरैना।

18- परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण मुरैना।

19- महाप्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर दुग्घ सहकारी संघ गोले का मंदिर मुरार ग्वालियर।

20- माफी आफीसर आयुक्त कार्यालय ग्वालियर संभाग ग्वालियर।

21- उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग मुरैना।

22- तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार मुरैना/बानमोर।

23- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बानमोर।

24- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना।

25- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मुरैना/नगर पंचायत बानमौर।

26- खण्ड चिकित्सा अधिकारी नूराबाद।

27- रक्षित निरीक्षक, पुलिस लाइन मुरैना।

28- थाना प्रभारी पुलिस थाना रिठौराकलॉ नूराबाद, बानमौर।

29- उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें मुरैना।

30- जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मुरैना।

31- सचिव भारतीय रेडक्रास सोसायटी बानमौर मुरैना।

32- ————————————————————————————————————

(मदन कुमार)

कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी

जिला मुरैना (म0प्र0)